न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 220/2020

RCMS No. 2020/00347

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 भंवरसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हापत तहसील सोजत जिला पाली		1. सीतादेवी पत्नी जबरपुरी जाति गोस्वामी निवासी हापत तहसील सोजत जिला पाली 2. ग्राम पंचायत रेपड़ावास जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
श्री नरपतसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8-12-2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रेपड़ावास द्वारा मिसल संख्या– की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 856 दिनांक 25.6.1991 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ग्राम हापत का मूल निवासी है। अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पचांयत द्वारा विधि एवं नियमों को ताक पर रखकर बिना मिसल कायम कर अपनी अधिकारिता से परे जाकर फर्जी एवं कूटरचित रूप से जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी पट्टे के लिए कोई आवेदन किसी भी तारीख को ग्राम पचांयत में पेश नही किया। पंचायत ने कोई मिसल कायम नही की, पंचायत को वादग्रस्त भूमि को जैर निगरानी पट्टा विधिक हक एवं अधिकारिता नही थी फिर भी तत्कालीन सरपंच ने जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो प्रथम दृष्टया अपास्त करने योग्य है। पट्टा किस नियम के तहत जारी किया गया है वह नियम भी अंकित नही है जबकि पंचायत साधारण नियम मे निःशुल्क पट्टा जारी किया जाता है उसके लिए भी नियम दिये हुए है। जैर निगरानी पट्टा किस नियम के तहत जारी किया गया है अंकित नही है। निःशुल्क पट्टा जारी करने के भी पंचायत एक्ट में प्रावधान दे रखे है। पंचायत एक्ट के अनुसार अनु.जाति व जनजाति कारीगर सीमांत कृषक को निःशुल्क पट्टा जारी किया जाता है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 इसकी श्रेणी में नही आती है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने तत्कालीन सरपंच से मिलावट करके पट्टा जारी करवा दिया जो निरस्त योग्य है। पट्टा पंचायत के साधारण नियमो के विरूद्ध पंचायत राजकोष को नुकसान पहुंचाते हुए जारी किया है। प्रार्थी ग्राम हापत का नागरिक है। अप्रार्थी ने नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है जिससे

जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी को सख्त प्रिज्युडिस हो रही है। प्रार्थी व्यथित पक्षकार होने से यह निगरानी पेश कर रहा है। अतः निगरानी स्वीकार फरमावें तथा जैर निगरानी पट्टा संख्या 856 दिनांक 25.6.1971 को निरस्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। निगरानी खारिज योग्य है। अतः निगरानी खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाहिर किया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उससे सम्बन्धित दस्तावेज ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार पंचायत के मूल रेकर्ड के अभाव में भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है उसे कायम रखा जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रेपड़ावास द्वारा मिसल संख्या – की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 856 दिनांक 25.6.1971 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ ग्राम पचांयत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्बद्ध पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 8-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली